लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 52 / 2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 30.05.2019

श्री नारायण लाल पिता छोगालाल कीर निवासी कीर खेड़ा तहसील राशमी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमो

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 26.06.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.04.2019 को रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 52 / 2019 / (25.06) / 216 दिनांक 30.05.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी को दिनांक 25.06.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 25.06.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि वह वांछित सूचना चाहने हेतु तहसील कार्यालय मे उपस्थित हुआ किन्तु तहसीलदार साहब राशमी एवं ऑफिस कानूनगो श्री सेवाराम बैरवा द्वारा मुझे सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई तथा व्यर्थ समय बर्बाद

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 52/2019 (सू.अ.)
श्री नारायण लाल कीर निवासी राशमी बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

किया और आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वांछित सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./सूकाअ/2019/702 दिनांक 24.06.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2019 के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2019/587 दिनांक 20.05.2019 से वांछित 10 बिन्दुओं की सूचना के संबंध में पत्र जारी कर प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2019 के बिन्दु संख्या 3, 4, 5, 6 व 8 की तैयार सूचना प्राप्ति हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करा प्राप्त करने एवं बिन्दु संख्या 1, 7, 9 व 10 की निश्चित समयावधि अथवा जो भी पहचान दस्तावेज प्रार्थी के पास उपलब्ध हो प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।
2. यह कि उक्त सूचना पत्र कार्यालय हाजा से तामील कुलिन्दा श्री मुन्नालाल सालवी च. श्रे. क. के साथ तामील हेतु भिजवाया गया, वक्त तामील परिवादी द्वारा दिनांक 27.05.2019 को तामील कुलिन्दा श्री सालवी से पत्र लेकर पत्र का पठन कर पुनः लौटाते हुए गाली–गलौच की जाकर अभद्र व्यवहार किया तथा सूचना पत्र लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तामील कुलिन्दा द्वारा अदम तामील रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (प्रतिलिपि संलग्न) तत्पश्चात सूचना पत्र दिनांक 28.05.2019 को जरिये रजिस्टर्ड ड़ाक प्रेषित किया गया। (रसीद की प्रति संलग्न)
3. यह कि दिनांक 23.04.2019 के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 की सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर उपखण्ड कार्यालय कपासन की होने से प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार की धारा 6 की उपधारा (3) में उपखण्ड अधिकारी, कपासन को इस कार्यालय के पत्रांक 170–171 दिनांक 21.05.2019 से अंतरण किया गया, जिसकी प्रति परिवादी को भी प्रेषित की गई है। (प्रति संलग्न)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय मुहर: लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

4. यह कि परिवादी श्री नारायण लाल कीर सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात दिनांक 30.05.2019 को कार्यालय हाजा में उपस्थित हुआ तथा तैयार की गई प्रतिलिपियों हेतु टिकीट दे कर चला गया, तत्पश्चात पुनः उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही अन्य बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई। इसी दौरान कार्यालय पत्रांक भू.अ. / 2019 / 356 दिनांक 14.06.2019 से तैयार की गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / सूकाअ / 2019 / 702 दिनांक 24.06.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी ने अपने पत्रांक / भू.अ. / 2019 / 587 दिनांक 20.05.2019 से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 3, 4, 5, 6 व 8 की सूचनाओं हेतु प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने तथा बिन्दु संख्या 1, 7, 9 व 10 के संबंध में वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा है।

उसके पश्चात पुनः सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं (बिन्दु संख्या 2 के अतिरिक्त) तैयार हो जाने से जरिये पत्रांक / भू.अ. / सूकाअ / 2019 / 356 दिनांक 14.06.2019 से ड़ाक द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित की गई है।

चूंकि अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा उसके द्वारा वांछित सूचना / प्रतिलिपियां जरिये ड़ाक द्वारा प्रेषित की चुकी है किन्तु अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर उसे आदिनांक तक उक्त सूचनाऐं प्राप्त नहीं होने का कथन किया है।

साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचना जो कि उपखण्ड अधिकरी कपासन से संबंधित है अपीलार्थी को उक्त

सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 52 / 2019 (सू.अ.)
श्री नारायण लाल कीर निवासी राशमी बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपीलार्थी का आवेदन, आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से 5 दिवस के अन्दर दिनांक 29.04.2019 तक धारा 6 (3) के तहत उपखण्ड अधिकारी, कपासन को स्थानान्तरित करना चाहिए था जो कि 5 दिवस में नहीं करके दिनांक 21.05.2019 को 27 दिवस के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा जरिये पत्रांक / भू.अ. / सूकाअ / 2019 / 356 दिनांक 14.06.2019 से अपीलार्थी को जो सूचनाऐं डाक द्वारा प्रेषित की गई है उसकी एक प्रति ओर निः शुल्क उपलब्ध करा दी जावे एवं बिन्दु संख्या 2 के संबंध में अपीलार्थी का आवेदन उपखण्ड अधिकारी, कपासन को विलम्ब से स्थानान्तरित करने से उक्त सूचना भी उपखण्ड अधिकारी, कपासन से वे स्वयं प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करावे।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(शिवांगी स्वर्णकार)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 52 / 2019(सू.अ.) / 249 दिनांकः– 26 / 06 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी
2. श्री नारायण लाल कीर पिता छोगालाल कीर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, निवासी कीर खेड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)